न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—88 / 2016 तारीख रजु 15.07.2016

जीसीएमएस आई0डी0:—2016 / 00784

1. रामरूप आयु 50 साल
2. समय आयु 40 साल

पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी बझेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

——सायलान—02

बनाम

1. विक्रम आयु 35 साल
2. महेन्द्र आयु 32 साल
3. कैलाश आयु 28 साल
4. राम अवतार आयु 25 साल

पिसरान रमेश जाति जाटव निवासी बझेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—गैरसायलान—04

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री संतोष कुमार मुदगल वकील सायलान

2. श्री शांतिलाल करसौलिया वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांक 28-2-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि खाता संख्या 244 के अनुसार आराजी खसरा न0 1033 / 303 रकबा 0.08 है0, 1036 / 512 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है0. वाके ग्राम बझेडा तहसील हिण्डौन है, जो कि सायल स0 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आरजीयात है।

खाता संख्या 245 के अनुसार आराजीयात खसरा न0 500 रकबा 0.04 है0, 1034 / 503 रकबा 0.07 है0, 1037 / 512 रकबा 0.04 है0, 1038 / 501 रकबा 0. 01 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बझेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 है जो कि सायल सं0 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है।

आराजीयात मुतजिका मद न0 2 प्रार्थना पत्र सायल स0 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की तथा आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 3 प्रार्थना पत्र सायल स0 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आरजीयात है। जिसमे किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:32 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने अपनी उपरोक्त आराजीयात की काफी श्रम व धन खर्च करके तथा उत्तम क्वालिटी की उर्वरक आदि डालकर तथा इन्टेसिव उद्यान लगाकर तथा

गोबर की खाद आदि डालकर उपजाउ बनाया है, सायलान की उक्त आराजीयात इस समय बेशकीमती आराजीयात है।

सायलान ने अपनी उक्त आराजीयात में दिनांक 23.06.2016 को फसल बाजरा काश्त कर दिया है, जोकि मौके पर उग आयी है। और सरसब्ज हालत में तैयार है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

बांका दिनांक 10.07.2016 को समय सुबह 7 बजे सायलान अपनी उक्त आराजीयात मुतजिक्रा 2 व 3 प्रार्थना पत्र को सालसंभाल करने गया तो इतने में गैरसायलान सायलान की उपरोक्त आराजीयात पर हाथों में लाठी, डण्डा लेकर आ गये और आते ही गैरसायलान ने सायलान से कहा कि तुम इन आराजीयात को भूल जाओं हम इन पर जबरन कब्जा करगें। इस पर सायलान ने कहा कि भाईयों यह आराजीयात तो हमारी कब्जे काश्त की आराजीयात है, आपका इन आराजीयात से कोई वास्ता नहीं है, और हम ही अपनी जमीन को काश्त करते आये है। आप हमको परेशान ना करे, इस पर गैरसायलान और भी ज्यादा नाराज हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि हम तो हर हालत में तुमकों इन आराजीयात से बेदखल करके रहेंगे यदि इसमें सफल नही हो पाये तो तुम्हारी जमीन को गडडे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त बना देंगे। सायलान ने गैरसायलान को हाथ जोडकर काफी समझाया तथा गणमान्य व्यक्तियों से भी समझाया लेकिन गैरसायलान अपनी उक्त हरकतों व अपनी हठधर्मी पर आमदा है, यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकत में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान को उनकी आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 व 3 प्रार्थना पत्र खसरा न0 1033/503 रकबा 0.08 है0, 1036/512 रकबा 0.08 है0, 500 रकबा 0.04 है0, 1034/503 रकबा 0.07 है0, 1037/512 रकबा 0.04 है0, 1038/501 रकबा 0.01 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बझेडा तहसील हिण्डौन को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। सायलान को गैरसायलान उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करे। तथा सायलान की उक्त आराजीयात में गडडे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त ना बनाये। सायलान के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई बाधा किसी प्रकार की नहीं डाले। तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हक हकूकों सायलान को क्षति किसी प्रकार की पहुचंती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री शांतिलाल करसौलिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं उत्तर दिनांक 11.08.2021 से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:32 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 1 अस्वीकार है प्रार्थी को कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है इसलिए झूठा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 रेवन्यू रिकोर्ड अनुसार सही है जो स्वीकार करने योग्य है।
3. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर ३ रेवन्यू रिकोर्ड अनुसार सही है जो स्वीकार करने योग्य है।
4. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 अस्वीकार है प्रार्थी ने उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है बल्कि गैरसायलान का ही कब्जा है।
5. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 गलत वर्णित किया गया जो स्वीकार योग्य नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 गलत तथ्यों के आधार पर वर्णित किया गया है स्वीकार करने योग्य नहीं है।
7. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 अस्वीकार है।
8. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है।
9. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 9 अस्वीकार है।
10. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 10 अस्वीकार है।

प्रार्थी रामरुप गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है जिस पर साहूकारों का अधिक कर्जा हो गया था कर्जा लिए प्राश्रीगण को आये दिन हैरान परेशान करते थे प्रार्थीगण शारीरिक एवं मानसिक रुप से परेशान रहते थे जिन्होनें अपनी आर्थिक समस्या हेतु रुपयों की आवश्यकता होने पर गैरसायलान के पिता स्वर्गीय श्री रमेश चन्द्र पुत्र सोनपाल जाटव निवासी बझेडा तहसील हिण्डौन सिटी से दिनांक 01.06. 2014 को रामरुप पुत्र परभाती ने 5.82.200 रुपये शब्देन पाँच लाख ब्यासी हजार दो सौ रुपये 2 रुपया प्रति सैकडा के हिसाब से नगद रुपया उधार कर्जा लिया था जिसकी लिखा पढी उमाशंकर मीना द्वारा गवाहान के समक्ष प्रार्थी रामरुप ने अपने हस्ताक्षर कर तय शर्तें की उक्त राशि की [illegible] अपने खेत कुआ वालें को रमेश ही जोतकर कब्जा कारत [illegible] दीगर व्यक्ति को बेचान नहीं करेगा अगर अन्य व्यक्ति को बेचान करें तो गैरसायलान के पिता से उधार ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:32 IST
Reason: SelfAttested

गयी रकम को मय ब्याज रामरुप/प्रार्थी अदा करके ही कब्जा प्राप्त करेगें और उक्त आराजीयात पर सन् 2014 से ही गैरसायल अपने पिता के जीवनकाल से ही कास्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी समय सिंह को अपनी आर्थिक समस्या हेतु रुपयों की आवश्यकता होने पर गैरसायलान के पिता स्वर्गीय श्री रमेश चन्द्र पुत्र सोनपाल जाटव निवासी बझेडा तहसील हिण्डौन सिटी से दिनांक 01.06.2014 को समयसिंह पुत्र परभाती ने 5,27,000 रुपये शब्देन पाँच लाख सत्ताईस हजार रुपये 2 रुपया प्रति सैकडा के हिसाब से नगद रुपया उधार कर्जा लिया था जिसकी लिखा पढी उमाशंकर मीना द्वारा गवाहान के समक्ष प्रार्थी समयसिंह ने अपने हस्ताक्षर कर यह शर्ते की उक्त राशि की आट अपने खेत कुआ वालें को रमेश ही जोतकर कब्जा कास्त करेगा अन्य कोई दीगर व्यक्ति को बेचान नहीं करेगा अगर अन्य व्यक्ति को बेचान करें तो गैरसायलान के पिता से उधार ली गयी रकम को मय ब्याज रामरुप/प्रार्थी अदा करके ही कब्जा प्राप्त कर लिया उसी समय से गैरसायलान उक्त भूमि से काबिज एवं दाखिल है। प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात आज तक कोई कब्जा नहीं है ना ही कभी कास्त की है तथा उक्त आराजीयात को अपने द्वारा कर्जा में ही गैरसायल को उक्त भूमि संभला दी थी लेकिन अब जमीन के भाव अधिक होने एवं प्रार्थीया के मन में बदयान्ती व बेईमानी होने के कारण उक्त दावा में प्रार्थना पत्र अस्थायी पेश किया जो खारिज करने योग्य है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति या नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है अगर गैरसालयान को उक्त भूमि की कब्जा काश्त से पाबंद किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य में संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार प्रार्थना पत्र मय रहन व्यय का नोट अंकित किये बिना ही शपथ पत्र पेश किया गया है जो खाजिर करने योग्य है। प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थना पत्र की द्वितीय प्रति संलग्न नहीं की गई है और ना ही पेश की गई जमाबंदी तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नहीं है जो न्यायालय में पेश किये जाने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने [illegible] में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या [illegible] तहसील हिण्डौन पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:32 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान को उनकी आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 व 3 प्रार्थना पत्र खसरा न0 1033/503 रकबा 0.08 है0, 1036/512 रकबा 0.08 है0, 500 रकबा 0.04 है0, 1034/503 रकबा 0.07 है0, 1037/512 रकबा 0.04 है0, 1038/501 रकबा 0.01 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बझेडा तहसील हिण्डौन को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। सायलान को गैरसायलान उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करने। तथा सायलान की उक्त आराजीयात में गडडे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त ना बनाने, सायलान के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई बाधा किसी प्रकार की नहीं डालने तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हक हकूकों सायलान को क्षति किसी प्रकार की पहुचंती हो। गैरसायलान वकील ने दौराने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कहा गया कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति या नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है अगर गैरसालयान को उक्त भूमि की कब्जा काश्त से पाबंद किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य में संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार प्रार्थना पत्र मय रहन व्यय का नोट अंकित किये बिना ही शपथ पत्र पेश किया गया है जो खाजिर करने योग्य है। प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थना पत्र की द्वितीय प्रति संलग्न नहीं की गई है और ना ही पेश की गई जमाबंदी तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नहीं है जो न्यायालय में पेश किये जाने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता संख्या 244 वाके ग्राम बझेडा तहसील हिण्डौन में सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है एवं गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई ताल्लुक/सम्बन्ध नहीं है इसलिये सायलान की दौराने दावा पेचिदगियाँ पैदा नहीं हो, मौके [illegible] रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 15.07.2016 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 1033/503, 1036/512, 500, 1034/503, 1037/512, 1038/501 वाके ग्राम बझेडा तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 28-2-25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:32 IST
Reason: SelfAttested